T.S 374/11

22-7-22 उभय पक्षों की पैरवी है।
प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा आदेश 1 नियम 10(2) के अंतर्गत दाखिल आवेदन एवं प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर पर, उभय पक्षों के सुनवाई के उपरांत आदेश पर नियत है।

वाद पुकारा गया, उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के आवेदन दिनांक 29-1-21 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि मुनेश्वर शर्मा के तीन पुत्रों को मात्र मुद्दई पक्षकार बनाया गया है लेकिन उनके पाँच पुत्री संतान भी थी, जिनका नाम 1 मगामनिया देवी, 2 सुरसतिया देवी 3 लगामनिया देवी 4 दमनी देवी एवं 5 एकमिना देवी है जिनमें से दो पुत्रियाँ लगामनिया देवी एवं दमनी देवी जीवित है और तीन पुत्रियाँ मगामनिया देवी, एकमिला देवी एवं सुरसतिया देवी की मृत्यु हो चुकी है। मूलपक्ष पुत्रियों एवं उनके विधिक वारिसानों को उक्त मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया जा सका है। मगामनिया देवी के विधिक वारिसानों को मुद्दालेहम फरीक चतुर्थ के रूप में जोड़ दिया जाए। अजय शर्मा, विजय शर्मा एवं देवी शर्मा को मुद्दालेह फरीक चतुर्थ के रूप में जोड़ा जाए।

(क्रमशः)

T.S 374/11

लगातार
22-7-22

रुकमिना देवी के विधिक वारिसानों संजय शर्मा, सविता देवी, ममता देवी एवं लोलिता देवी को मुद्दालेहम फरीक पंचम के रूप में जोड़ दिया जाएं। सरस्वती देवी के विधिक वारिसानों मुन्नी देवी, आरती देवी एवं कमला देवी को मुद्दालेहम फरीक षष्ठम के रूप जोड़ दिया जाएं। रूपनी देवी जिंदा है जो इस मुकदमे में आवश्यक पक्षकार है उसे मुद्दालेहम फरीक सप्तम के रूप में जोड़ दिया जाएं। भगमानो देवी जिंदा है इसे मुकदमे में मुद्दालेहम फरीक अष्टम के रूप में जोड़ दिया जाएं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ये सभी मुकदमे के आवश्यक पक्षकार है, इस मुकदमें का सही रूप से न्याय निर्णय के लिए पक्षकार बनाना आवश्यक है ताकि इस मुकदमें का सही न्याय निर्णय हो सके।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर आपत्ती व्यक्त किया गया है। वादी का आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है। यह कि कानूनन वादीगण अपने वादपत्र में आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन कर किसी पक्षकार नाम जोड़वा सकते है न कि आदेश 1 नियम 10(2) में आदेश 1 नियम 10 के तहत कोई भी

लगातार

प्र.3 3842/11

पेशकार
22-7-22

— व्यथित विधिक राईट माईल्स की इन्टरवेंट रहता है कि स्वयं पक्षकार बनने का आवेदन दे सकते हैं।

वादीगण ने अपने सवाल के बारा 1 में कहा है कि मुलायम पुत्रियों का नाम वाद पत्र में में नहीं किया जा सका है जबकि मन मुहालेह ने अपने बयान तहसील में दाखिल किया गया है जो धारा 7 में वो 8 वा 12 में डिक्रेट आफ पार्टी मंजूर किया है लेकिन वादीगण के जानबूझकर मुकदमे का निस्तारण नहीं होने देने की नियत से आठ साल बीतने के बाद पक्षकार बनने का आवेदन दिये है जो विलंबित स्टेज में दिये हैं। अतः वादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

सुना, संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया, अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी ने वाद दाखिल करते समय मुनेश्वर शर्मा के तीन पुत्रों को मन मुद्दई पक्षकार बनाया जो वाद दाखिल करते समय वादी को मुनेश्वर शर्मा के अन्य पाँच पुत्रियों के होने बात वाद दाखिल करते समय उसको जानकारी थी किंतु वादी द्वारा उनके पुत्रियों को उस समय पक्षकार

पेशकार

T.S 574/11

पुकार
22-7-22

नहीं बताया गया जो वादी की लापरवाही को दर्शाता है।

फिर भी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी के आवेदन को मो0 1000 रुपया खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि समय सीमा के अन्तर्गत वाद में आवश्यक पक्षकार को जोड़ें। वादी द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं दाखिल होने पर कार्यालय नोटिस निर्गत करे। दिनांक 23-8-2022 वास्ते साक्ष्य।

पीठा0